सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट : विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 32/2017 **दायर तारीख :– 28.04.2017**

1. आनन्द कंवर पत्नि कल्याण सिंह जाति चारण निवासी वाटिका गांधीपथ हिंगलाज नगर B लालपुरा, जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. श्रवण
2. पूरण
3. रामेश्वर
4. गिरधारी

पुत्रान पांचूराम

5. कालूराम
6. धोलूराम

पुत्रान मुरलीधर

(1 से 6) समस्त जाति माली निवासी आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर, जयपुर

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
8. सरदार मल
9. रामसहाय
10. लच्छूराम

(8 से 10) जाती जाट निवासी आमलोदा दुधी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर **—— प्रतिवादीगण**

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री चिरंजीलाल, अधिवक्ता वादीगण
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी 8 लगा॰ 10
व्यक्तिशः उपस्थित प्रतिवादी सं॰ 1 लगा॰ 4 व 6
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.06.2018

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम चेचावाला के खसरा नम्बर 1297/1518/0.75, 1297/1520/0.75, 1298/0.24 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर में वादीया ने उक्त भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

के पूर्व खातेदार रूकमा देवी पत्नि चौथमल, सेढचन्द, गोपाल, सोहन लाल, रतन लाल पुत्रान चौथमल, गीता, सीता पुत्रिया चौथमल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनके हिस्से 1/3 को क्रय किया था एवं उक्त भूमि के खातेदार बाबूलाल पुत्र मुरलीधर से भी वादीया ने उनके हिस्से 1/9 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था, जिसका अमल दरामद जरिए नामान्तकरण हाल जमाबन्दी में अंकित है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1297/1518, 1297/1520, 1298 किता 3 रकबा 1.74 हैक्टेयर के हिस्सा 4/9 अर्थात कुल भूमि 0.7733 हैक्टेयर की वादीया खातेदार काश्तकार है, शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। वादीया के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 1297/1520 सम्पूर्ण रकबा एवं इसी भूमि से उत्तर दिशा में लगती हुई 1297/1518 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर मे से 0.0233 हैक्टेयर भूमि आयी है, तथा वादीया इसी भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण, वादीया के हिस्से में मजाहमत पैदा करने लगे हैं तथा वादीया के हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 1297/1520/0.75 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1297/1518 रकबा 0.0233 हैक्टेयर से वादीया को बेदखल करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि ग्राम चेचावाला के खसरा नम्बर 1297/1520, 1297/1518, 1298 किता 3 रकबा 1.74 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा किया जाकर वादीया के हिस्से 4/9 के हाल खसरा नम्बर 1297/1520 रकबा 0.75 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1297/1518 रकबा 0.75 हैक्टेयर का दक्षिणी हिस्सा जो खसरा नम्बर 1297/1520 से लगता हुआ है मे से 0.0233 हैक्टेयर के नये नम्बर कायम करते हुए वादीया की खातेदारी में दर्ज की जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी की बाधा कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 राजस्व लोक अदालत तारीख पेशी 15.05.2017 को व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा न्यायालय आदेशिका पर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने पर सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 5 को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2069–2072 आदि पेश किये।

4. अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 का निवेदन रहा कि प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित है अतः तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियमानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे, जिसके संबंध में पक्षकारान ने राजस्व लोक अदालत कैम्प सोठाना में उपस्थित होकर लिखित सहमति आवेदन भी किया है।
5. प्रकरण में तारीख पेशी 27.09.2017 को अधिवक्ता घनश्याम गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थी धर्मपाल की तरफ से पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1298 मे से अपनी दूसरी आराजी से लगती हुई से 0.0125 हैक्टेयर को धोलाराम पुत्र मुरलीधर से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.07.2015 को खरीद किया है, जिसका प्रार्थी उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट बनाने हेतु मौके पर जाने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि के संबंध में बंटवारा का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी का विवादित आराजी में हितबद्ध व्यक्ति होने की जानकारी बावजूद वादी ने प्रार्थी धर्मपाल को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः प्रार्थी धर्मपाल को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर दिया जाना न्यायसंगत है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में प्रार्थी धर्मपाल पुत्र गंगासहाय गौरा, जाति जाट का नाम अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को आराजी मुतनाजा में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने धोलाराम पुत्र मुरलीधर जाट से भूमि क्रय करना बताया है, इसके संबंध मे यह कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उक्त धोलाराम पुत्र मुरलीधर जाट नाम से कोई भी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है, बल्कि धोलूराम पिता मुरलीधर कौम माली दर्ज रिकार्ड है, जबकि प्रार्थी ने धोलूराम पुत्र मुरलीधर जाति जाट से भूमि क्रय किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा से पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र गंगासहाय गौरा जाति जाट प्रकरण हाजा में हितबद्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।
7. तहसीलदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत मौका, कब्जा एवं रिकार्ड के अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 प्राप्त की गई।

8. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में पेश हुई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वादी, प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम चेचावाला के खसरा नम्बर 1297/1518/0.75, 1297/1520/0.75, 1298/0.24 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3, बाबूलाल, कालूराम (प्रतिवादी संख्या 5), धोलूराम (प्रतिवादी संख्या 6) पिता मुरलीधर हिस्सा 1/3, रूकमा देवी पत्नि चौथमल, गोपाल, सोहन, रतनलाल, सेठचन्द पिता चौथमल, गीता, सीता पुत्रियां चौथमल हिस्सा 1/3 कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड रही है, जिसमें नामान्तकरण संख्या 1479 दिनांक 14.09.2016 विक्रय पत्र द्वारा सम्पूर्ण खाते में बाबूलाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/9 जाति माली के बजाय वादीया आनन्द कंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/9 के नाम तथा नामान्तकरण संख्या 1512 दिनांक 17.02.2017 विक्रय पत्र द्वारा रूकमा देवी पत्नि चौथमल, सेठचन्द, गोपाल, सोहन, रतनलाल पिता चौथमल, गीता, सीता पुत्रियान चौथमल हिस्सा 1/3 के बजाय वादीया आनन्द कंवर पत्नि कल्याण सिंह हिस्सा 1/3 स्वीकार होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 1533 दिनांक 11.05.2017 विक्रय द्वारा खसरा नम्बर 1298/0.24 हैक्टेयर में पूरण, गिरधारी पिता पांचूराम हिस्सा 1/6, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/9 जाति माली के बजाय सरदारमल, रामसहाय, लच्छूराम पिता रामनाथ हिस्सा 2995/19152 जाति जाट के नाम खातेदारी दर्ज हुई है तथा पूरण, गिरधारी पिता पांचूराम हिस्सा 141/2394, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 3/8 बदस्तूर जमाबन्दी है, तथा नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 17.07.17 हकत्याग के द्वारा श्रवण पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/12 के बजाय पूरण पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड हुआ है। उपर्युक्त दर्ज खातेदारी अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1297/1518, 1297/1520, 1298 किता 3 रकबा 1.74 हैक्टेयर के हिस्सा 4/9 अर्थात कुल भूमि 0.7733 हैक्टेयर की वादीया खातेदार काश्तकार है, शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी में हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। जहां तक धर्मपाल पुत्र गंगासहाय गौरा जाति जाट का प्रकरण में हितबद्ध होने का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कि प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में प्रार्थी धर्मपाल पुत्र गंगासहाय गौरा, जाति जाट का

सत्यमेव जयते Web Copy

नाम अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि धर्मपाल को आराजी मुतनाजा में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने धोलाराम पुत्र मुरलीधर जाट से भूमि क्रय करना बताया है, इसके संबंध मे यह कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उक्त धोलाराम पुत्र मुरलीधर जाट नाम से कोई भी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है, बल्कि धोलूराम पिता मुरलीधर कौम माली दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा से पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी धर्मपाल पुत्र गंगासहाय गौरा जाति जाट प्रकरण हाजा में हितबद्ध नहीं है। वादीगण का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित रहा है तथा आराजी के खातेदारान को कानूनी बंटवारा कराने का हक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 राजस्व लोक अदालत तारीख पेशी 15.05.2017 को व्यक्तिशः उपस्थित हुए हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने पर सहमति प्रदान की है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री करते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप मौका, कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति स्वरूप पक्षकारान ने हस्ताक्षर किये है। वादीगण ने अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

10. परिणामतः वादीगण वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/ रकबा (हैक्टे॰)
1	आनन्द कंवर पत्नी कल्याणसिंह	1297/1518/0.3730, 1297/1520/0.40 हैक्टे॰
2	रामेश्वर पुत्र पांचूराम हिस्सा 1090/7270, पूरण पुत्र पांचूराम हिस्सा 2180/7270, गिरधारी पुत्र पांचूराम हिस्सा 1090/7270, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1455/7270, धोलूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1455/7270	1568/1297/0.3770, 1569/1297/0.35 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

3	सरदारमल, रामसहाय, लच्छूराम पिता रामनाथ हिस्सा 375/2400, पूरण, गिरधारी पिता पांचूराम हिस्सा 298/2400, पूरण पांचूराम हिस्सा 423/2400, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 318/2400, धोलूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 563/2400, रामेश्वर पुत्र पांचूराम हिस्सा 423/2400	1298/0.24

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट विराटनगर दिनांक 29.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आमलोदा

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. आनन्द कंवर पत्नि कल्याण सिंह जाति चारण निवासी वाटिका गांधीपथ हिंगलाज नगर B लालपुरा, जयपुर —— **वादी**

बनाम

1. श्रवण
2. पूरण
3. रामेश्वर
4. गिरधारी

पुत्रान पांचूराम

5. कालूराम
6. धोलूराम

पुत्रान मुरलीधर

समस्त जाति माली निवासी आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर, जयपुर

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर **—— प्रतिवादीगण**

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 32/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री चिरंजी लाल एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **व्यक्तिशः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व 6 एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम चेचावाला के खसरा नम्बर 1297/1520, 1297/1518, 1298 किता 3 रकबा 1.74 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा किया जाकर वादीया के हिस्से 4/9 के हाल खसरा नम्बर 1297/1520 रकबा 0.75 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1297/1518 रकबा 0.75 हैक्टेयर का दक्षिणी हिस्सा जो खसरा नम्बर 1297/1520 से लगता हुआ है मे से 0.0233 हैक्टेयर के नये नम्बर कायम करते हुए वादीया की खातेदारी में दर्ज की जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीया के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी की बाधा कारित नहीं करें।

सुना गया। वादी का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधनों अनुसार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। वादी ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/ रकबा (हैक्टे०)
1	आनन्द कंवर पत्नी कल्याणसिंह	1297/1518/0.3730, 1297/1520/0.40 हैक्टे०
2	रामेश्वर पुत्र पांचूराम हिस्सा 1090/7270, पूरण पुत्र पांचूराम हिस्सा 2180/7270, गिरधारी पुत्र पांचूराम हिस्सा 1090/7270, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1455/7270, धोलूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1455/7270	1568/1297/0.3770, 1569/1297/0.35 हैक्टेयर
3	सरदारमल, रामसहाय, लच्छूराम पिता रामनाथ हिस्सा 375/2400, पूरण, गिरधारी पिता पांचूराम हिस्सा 298/2400, पूरण पांचूराम हिस्सा 423/2400, कालूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 318/2400, धोलूराम पुत्र मुरलीधर हिस्सा 563/2400, रामेश्वर पुत्र पांचूराम हिस्सा 423/2400	1298/0.24

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले हिस्सा एवं खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट विराटनगर दिनांक 29.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर